

प्रथम-अध्याय

शोध परिचय

प्रथम-अध्याय
शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना -

शिक्षा राष्ट्र एवं व्यक्ति की प्रगति का मूल आधार है। शिक्षा का जीवन के प्रत्येक पक्ष में परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से गहन सम्बन्ध है। व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष-शारीरिक मानसिक भौतिक, चारित्रिक, नैतिक, व्यवहारिक, अध्यात्मिक धार्मिक, शैक्षिक, व्यवसायिक राजनीति तथा सामाजिक आदि शिक्षा से जुड़े रहते हैं इससे वे प्रभावित होते हैं। व सभी को प्रभावित करते हैं।


इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्ग-दुकानदार नौकरी करने वाले, पेशेवर लोग, छात्र, अभिभावक आदि सभी शिक्षा से सम्बन्धित हैं तथा शिक्षा को वे अपने दृष्टिकोण से देखते हैं।

शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है, एक है शिक्ष् धातु तथा दूसरी शाक्ष धातु है शिक्ष् का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना। शास का अर्थ है अनुशासन में रखना 'नियंत्रण' में रखना तथा निर्देश देना।

शिक्षा के अनुरूप अथवा समान अर्थ वाला एक और शब्द है "विद्या" जो संस्कृत के विद् धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना।

पश्चिमी भाषा के संदर्भ में शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं विद्वानों के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है जो इस प्रकार हैं -

- (1) Educare - एडुकेयर-संवर्धन करना, पालन पोषण करना।
- (2). Educare - एडुकीयर-विकसित करना, बाहर लाना।
- (3). Educatus - एडुकेट्स-पढ़ाना, प्रशिक्षित करना।
- (4). Educo - एडुको-अंदर से निकालना अंदर का विकास करना आगे बढ़ाना।




शिक्षा के अर्थ के बारे में कुछ विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं

- सुकरात - शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है।
- एडीसन - शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव के अंतर में निहित सभी शक्तियों तथा गुणों का विकास करना है।
- गाँधी जी - शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन, आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना है अथवा बाहर निकालना है।
- फ्रोबेल - शिक्षा वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ प्रकट होती हैं।
- काण्ट - शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णतः का विकास है, जिसकी उसमें क्षमता है।

इस प्रकार शिक्षा से संबंधित और भी अन्य विद्वानों ने अनेक विचार प्रकट किये हैं। विद्यार्थियों में जन्म जात शक्ति के विकास के रूप में पाठ्यात्तर क्रियाओं का भी सहारा लिया जाता है जो कि शिक्षक का कार्य होता है कि छात्रों में विभिन्न प्रकार की क्षमता विकसित की जाये। इस प्रकार एडम्स ने


शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना शिक्षक और छात्र। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। (1) शिक्षक (2) पाठ्यक्रम (3) छात्र



चित्र क्रमांक-1


चित्र क्रमांक-1 को देखने पर स्पष्ट है कि शिक्षा का सीधा संबंध छात्र, शिक्षक व पाठ्यक्रम से है।

शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया है। जिसमें छात्र, शिक्षक व उनकी शिक्षण सामग्री शामिल हैं।



चित्र क्रमांक-2

1.2 शिक्षा एवं उसके स्तर - शिक्षा व्यक्ति को जन्म से लेकर जीवन पर्यन्त दी जाती है, इस प्रकार शिक्षा के स्तर निम्नलिखित हैं।



चित्र क्रमांक-3

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा - पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 2 से 6 वर्ष की अवस्था के बच्चे आते हैं इसमें आँगनबाड़ी, बालबाड़ी, प्रीनर्सरी व नर्सरी और मॉण्टेश्वरी और के.जी. कक्षाएँ शामिल हैं।

- प्राथमिक शिक्षा – प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इसमें कक्षा एक से कक्षा पांचवी तक की शिक्षा दी जाती है।
- उच्च प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा – उच्च प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं कक्षा छठी से आठवी तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहते हैं।
- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा – उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं इसमें कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक की शिक्षा दी जाती है।
- उच्च शिक्षा – उच्च शिक्षा के अंतर्गत वे कक्षाएँ शामिल हैं, जिनमें बी.ए. बी.एस.सी. शामिल है।

1.3 उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा तथा महत्व – कक्षा 6 वीं से

कक्षा 8 वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है विकासशील भारत की जनतंत्रीय प्रणाली में उच्च प्राथमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। उच्च प्राथमिक शिक्षा देश की जनशक्ति का स्रोत है। उच्च कक्षाओं में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी एवं प्राथमिक विद्यालयों हेतु अधिकांश शिक्षक उच्च प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ही तैयार किये जाते हैं।

हुमायूँ के अनुसार, “सामाजिक शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में उच्च प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुदृढ़ता पर ही राष्ट्र की शक्ति एवं भविष्य निर्भर करता है। ज्यादातर देशों में उच्च प्राथमिक शिक्षा के बाद ही विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। दुर्भाग्यवश शिक्षा की यह कड़ी जितनी महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है, उतनी ही निर्बल एवं उपेक्षित भी। भारतीय उच्च प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान रूप उस ब्रिटिश शिक्षा-व्यवस्था की देन है जिसकी आधारशिला सन् 1854 में वुड के घोषणा पत्र के द्वारा रखी गई थी।

1.4 उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका -

गुरु का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि गुरु के बिना हमारा पथ प्रदर्शन असम्भव है।

गुरु को प्राचीन काल से ही भगवान के तुल्य माना जाता है। कहा जाता है।

गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा।

गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

इस प्रकार गुरु को त्रिमूर्ति का दर्जा दिया गया है ब्रह्मा जो ज्ञान का भण्डार हैं, विष्णु ज्ञानदाता है और शिव ज्ञान का सदुपयोगकर्ता हैं। इस प्रकार ऐसे गुरु जिनमें भगवान के तीनों रूप देखने को मिलते हैं, ऐसे अध्यापक को बार-बार नमन प्रणाम हैं।

विवेकानन्द जी का कहना है कि जो शिक्षक विद्यार्थियों के स्तर पर उतरकर उनकी आत्मा का परीक्षण करके शिक्षा देता है वही सच्चा शिक्षक है।

जवाहर लाल नेहरू के अनुसार चार प्रकार के शिक्षक होते हैं। (1). सामान्य

शिक्षक, (2) अच्छा शिक्षक (3). उत्तम शिक्षक (4). महान शिक्षक

(1). सामान्य शिक्षक - सामान्य शिक्षक वह है जो केवल कहता है।

(2) अच्छा शिक्षक - अच्छे शिक्षक वह है जो समझाता है।

(3). उत्तम शिक्षक - उत्तम शिक्षक वह है जो प्रदर्शित करता है।

(4). महान शिक्षक - महान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को प्रेरणा देता है।

भवन निर्माण में जो स्थान ईंटों का है राष्ट्र के निर्माण में वही स्थान या भूमिका शिक्षक की है।

शिक्षा समाज व राष्ट्र के निर्माण का मूल आधार है। शिक्षक पर ही समाज की उन्नति निर्भर होती है। शिक्षक पालकों को समुचित शिक्षा प्रदान कर देश के भविष्य को उज्ज्वल करता है। शिक्षक का महत्व अगाध है। अवर्णनीय है। भारतीय समाज में गुरु का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि वह शिक्षा के माध्यम से समाज को विकासोन्मुख बनाता है।

अतः शिक्षा के उद्देश्य देशकाल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, जो समाज की परिवर्तित आवश्यकताओं के पूरक होते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि परिस्थितियों के अनुरूप उचित निर्णय लेकर सही मार्ग का चयन करें और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों एवं अवसरों पर सही विकल्प का चुनाव कर सकें।

शिक्षक वह धुरी है जिसके चारों ओर शैक्षिक गतिविधियों क्रियाशील रहती है, किसी भी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का होता है। शाला की उन्नति एवं विकास के लिये उचित पाठ्यक्रम, श्रेष्ठ पाठ्यपुस्तक उत्तम शिक्षा साधन तथा उपयुक्त शांतागृहों की आवश्यकता तो है परन्तु उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता है उपयुक्त अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं की क्योंकि वे ही शिक्षा पद्धति को चलाते हैं। अच्छे शिक्षकों के अभाव में किसी भी देश की शिक्षा पद्धति निर्जीव और निस्तेज हो जाती है। इस तथ्य को समझकर प्राचीन भारत में शिक्षकों का एक विशिष्ट स्थान था लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में शिक्षकों की स्थिति सोचनीय हो गई थी।

इसलिये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा नियुक्त राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर कमीशन, कोठारी आयोग आदि ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापकों की आर्थिक सामाजिक व व्यवसायिक दशाओं को सुधारे बिना शिक्षक का उत्तरदायित्व अपूर्ण ही रहेगा। देश के सारे शिक्षा शास्त्री विद्वान, राजनीतिज्ञ और प्रशासक यह स्वीकार करते हैं कि देश जिस संकटकालीन दौर से गुजर रहा है उसमें अध्यापक ही उसे सम्बल प्रदान कर सकता है। बालक का सर्वांगीण विकास में शिक्षक को बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। शिक्षक वास्तव में बालक का सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास कर सकता है विद्यालय प्रांगण में भी शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, सम्पूर्ण विद्यालय योजनाओं को वही व्यवहारिक रूप देता है। अच्छी से अच्छी शिक्षण पद्धति प्रभाव रहित हो जाती है यदि शिक्षक उसे सही ढंग से प्रयोग न करें जिस प्रकार विद्यालय जीवन में

प्रधानाध्यापक मस्तिष्क के रूप में होता है, शिक्षक आत्मा का स्वरूप होता है। आत्मा बिना शरीर (विद्यालय) निर्जीव होता है। इसलिये शिक्षक विद्यालय जीवन का गतिदाता है।

राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर कमीशन, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षकों का महत्व—

- शिक्षा का रक्षक - समाज में प्रचलित शिक्षा का रक्षक भी शिक्षक ही होता है। वास्तव में कोई भी शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं जा सकती जिस स्तर के शिक्षक होंगे उसी स्तर की शिक्षा व्यवस्था होगी। शिक्षा की गुणात्मक स्थिति शिक्षकों की स्थिति तथा उनके गुणात्मक पहलू पर निर्भर है।
- राष्ट्र का मार्गदर्शक - डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार “शिक्षक राष्ट्र का मार्गदर्शक है। शिक्षक बौद्धिक परम्पराओं तथा तकनीकी कौशलों की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता है। वह सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षक तथा परिमार्जनकर्ता है। वह बालक का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक हैं
- राष्ट्र की उन्नति में स्थान - अध्यापक का राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। कहा भी जाता है कि एक आदमी अपनी हत्या या दूसरों की हत्या करके एक ही जीवन का अंत करता है। शिक्षक अपने शिक्षण से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते हैं जो राष्ट्र की प्रगति के आधार होते हैं।
- भविष्य निर्माता - डॉ. जाकिर हुसैन के अनुसार “वास्तव में” शिक्षक हमारे भाग्य का निर्माता है। समाज अपने ही विनाश पर उनकी अपेक्षा कर सकता है।
- संस्कृति का पोषण - गारफोर्य के शब्दों में शिक्षक के माध्यम से ही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है समाज की परम्परायें नवयुवकों को ज्ञात होती है तथा वह नई एवं रचनात्मक उत्तरदायित्व ऊर्जाएँ छात्रों को सौंपता है। शिक्षक संस्कृति का परिमार्जक एवं रक्षक है।

शिक्षक के उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं -

- ❖ अपने व्यवसाय के प्रति जवाबदेह।
- ❖ छात्रों का शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास करना।
- ❖ छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना।
- ❖ छात्रों का व्यवसायिक विकास करना।
- ❖ कक्षा का प्रबंध एवं समुचित शिक्षण देना।
- ❖ पाठ्यक्रमों सहभागी क्रियाओं का संचालन करना।
- ❖ सामाजिक एवं नागरिकता की शिक्षा देना।
- ❖ छात्रों की समस्या का समाधान करना।



1.5 विद्यालयीन शिक्षा में शिक्षक की भूमिका -

विद्यालय बाह्य जीवन का एक संक्षिप्त रूप है। प्रोफेसर डीबी के अनुसार विद्यालय का कार्य समाज के कार्यकलापों को सरल, शुद्ध और संतुलित ढंग से प्रस्तुत करना है ताकि बच्चा उन्हें सरलता से सीख सके। विद्यालयी शिक्षा में अध्यापक का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है जैसे कि महान शिक्षाविद् फ्रोवेल ने कहा है कि अध्यापक एक माली है जो बच्चों का फूलों के समान पोषण करता है ताकि उनका वांछित रूप से पूर्ण और स्वच्छन्द विकास हो सकें शिक्षक अपने प्रयत्नों द्वारा बालक की सहायता करता है जो कि अपने स्वभाव के अनुसार उन स्तरों तक पहुँचने के लिये प्रयत्नशील है जिनसे कि वह शायद वंचित रह सकता है। अध्यापक की विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की देखरेख करना व सही समय पर कक्षा में शिक्षण देना, विद्यार्थियों को नैतिकता, समानता, बंधुत्व, भाई चारे शिक्षा देना और विद्यार्थियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना शामिल है। छात्रों को राष्ट्र के प्रति समाज के प्रति संस्कृति के प्रति मूल अधिकारों के प्रति, मौलिक कर्तव्यों के प्रति अवगत कराना प्रमुख कर्तव्य है।

1.6 विद्यालयीन शिक्षा तथा अभिभावक -

बालक की समुचित शिक्षा तथा उसके सम्पूर्ण विकास के लिये आवश्यक है कि अध्यापकों तथा बच्चों के अभिभावकों में समुचित सम्पर्क, सहयोग तथा सहभागिता हो - जार्ज ऑमिसन ने अभिभावक, सहयोग पर इस प्रकार बल दिया है, सदा ही अभिभावक या माता-पिता अपने बच्चों का घर पर ध्यान रखें व विद्यालय में दी गई शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बच्चों का ध्यान् रखना आवश्यक होता है।

छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण घर तथा विद्यालय दोनों जगह होता है। दोनों का एक ही लक्ष्य है। अतः दोनों का ही सहयोग अति आवश्यक है।

अध्यापक के सम्पर्क में छात्र केवल पाँच-छैः घण्टे रहते हैं। और वह भी वर्ष के पाँच या छः महीने ही लेकिन छात्रों का ज्यादातर शेष समय घर पर ही व्यतीत होता है। अतः आवश्यक हो जाता है कि स्कूल व घर के जीवन को एक सम्मिलित इकाई के रूप में परिणित किया जाये। इस प्रकार माता-पिता की भूमिका विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने के लिये निम्न होती है :-

1. बच्चों को तैयार कराके सही समय पर स्कूल भेजना।
2. बच्चों को समय-समय पर प्रोत्साहित करना।
3. शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना प्रकट कराना।
4. सभी साथी छात्रों के साथ परस्पर मेल-जोल से रहना सिखाना।
5. बच्चों को समय-समय पर कॉपी, किताब, पेन उपलब्ध कराना।
6. बच्चों को अच्छे संस्कार देना।
7. बच्चों को राष्ट्र एवं संस्कृति की शिक्षा देना।
8. बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना जिससे वे सामाजिक व शैक्षिक मूल्यों को समझ सकें।

1.7 विद्यालयीन शिक्षा तथा समाज -

जे.एच. रॉनेक के अनुसार “बालक का समाजीकरण बालकों के समूह में सर्वोत्तम रूप में होता है और एक बालक दूसरे बालकों का सर्वोत्तम शिक्षक है। बालकों की शिक्षा में शैक्षिक मूल्यों को उजागर करना समाज का मुख्य कार्य है या कहें तो बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज के अन्तर्गत प्रमुख तत्व आते हैं।

(1). परिवार (2). स्कूल (3). पड़ोस (4). समूह

(1). परिवार - परिवार एक छोटी सी सामाजिक संस्था है। परिवार में माता-पिता-भाई-बहन व अन्य सगे सम्बंधी आते हैं, उनका बालकों की शिक्षा के प्रति हमेशा से ही मार्गदर्शन रहता है। समय-समय पर वे बच्चों को उनकी गलती से अवगत कराते रहते हैं व उनके अच्छे या बुरे कार्य की समीक्षा करते रहते ।

(2). स्कूल - स्कूल शिक्षा देने का एक औपचारिक अभिकरण है जहाँ पर अच्छा एवं शांत वातावरण होता है। बालकों के खेलने के लिये खेल का अच्छा सा मैदान भी होता है। स्कूल में अच्छे योग्य एवं अनुभवी शिक्षक होते हैं जहाँ पर वे बच्चों को अच्छी नैतिकता व भविष्य बनाने की शिक्षा देते हैं।

(3). पड़ोस- बालक के घर के पास-पड़ोसियों का भी बालकों की शिक्षा में अच्छा योगदान होता है। जैसे - यदि पड़ोसी बालक भी एक ही स्कूल में पढ़ता है तो स्वाभाविक है। वो एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं व विद्यालयीन शिक्षा लेने के लिये एक साथ स्कूल आना-जाना करते हैं।

1.8 अध्यापक एवं उनकी पृष्ठभूमि का शिक्षण अधिगम पर प्रभाव -

पृष्ठभूमि से आशय है शिक्षकों की प्रारम्भिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है? ग्रामीण या शहरी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता शैक्षिक प्रशिक्षण सहित एवं शैक्षिक प्रशिक्षण रहित व शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 5 वर्ष का है या 5 वर्ष

से अधिक का अनुभव है। उस आधार पर शैक्षिक मूल्यों को जानना ही उनकी पृष्ठभूमि है।

शिक्षकों की पृष्ठभूमि शिक्षकों को किस प्रकार प्रभावित करती है - शिक्षक की प्रारम्भिक शिक्षा यदि ग्रामीण क्षेत्र से है तो उनको अनेक समस्या जैसे-पढ़ने के लिये विद्यालय दूर होना आने-जाने का उचित साधन न होना वहीं शहरी क्षेत्र प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षकों को ऐसी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता इसी प्रकार शैक्षिक योग्यता शैक्षिक प्रशिक्षण सहित एवं शैक्षिक प्रशिक्षण रहित योग्यता पाने के लिये भी पृष्ठभूमि की भूमिका अत्यंत ही सुदृढ़ होती है। इसी प्रकार शैक्षिक अनुभव यदि 5 वर्ष का है तो शैक्षिक मूल्यों का समझना या 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तब शैक्षिक मूल्यों को समझने के लिये विभिन्न पृष्ठभूमियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार शिक्षकों के शैक्षिक मूल्यों को समझने के लिये पृष्ठभूमि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है।

1.9 मूल्य क्या है ?

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ इच्छायें होती हैं। व्यक्ति की भद्र कल्याणकारी व इच्छायें आकांक्षाएँ मूल्य के रूप में संज्ञापित की जाती हैं। अर्थात् मूल्य वह है जो मानव इच्छा की पूर्ति करता है। यह एक चिर स्थाई विचार, एक विशिष्ट प्रकार का आचरण अथवा जीवन का एक उच्चतम बिन्दु कहा जा सकता है। मूल्यों से संबंधित कुछ परिभाषायें निम्न हैं।

गार्डन ऑलपोर्ट के अनुसार - “मूल्य एक विचार है, जिस पर व्यक्ति वरीयता से कार्य करता है।”

जार्ज-गीजर के अनुसार - “मूल्य मनुष्य की बलवती इच्छाओं के मध्य चुनाव का परिणाम है।”

फिलिंक के अनुसार - “मूल्य वह मानक कसौटी है जिसके आधार पर मनुष्य अपने समक्ष उपस्थित क्रियाकलापों में से चुनाव कर प्रभावित होते हैं।”

“लूमीज एवं लूमीज के अनुसार - “मूल्य व्यवहार निर्धारक कारक है।”

“मूल्य को आंग्ल भाषा में वेल्यू (Value) शब्द से प्रयोग किया जाता है इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के वोलेड या वेलेयर से हुई है। वेलेयर का अंग्रेजी में अर्थ है एविलिटी, यूटिलिटी इम्पोर्टेन्ट तथा इसका हिन्दी में अर्थ हुआ योग्यता, उपयोगिता व महत्व शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसका महत्व सम्मान व उपयोग समझा जाता है वह मूल्य है। मूल्य से आशय वह वस्तु या बातें हैं जिनमें व्यक्ति रुचि लेता है।

मूल्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मूल धातु के साथ यत् प्रत्यय लगाने से हुई है। इसका शब्द कोषीय अर्थ कीमत या दाम भी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मूल्य किसी वस्तु की कीमत, क्षमता या उपयोगिता है जो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं को संतुष्टि प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये मूल्य अलग-अलग हो सकता है। मूल्य शब्द से अभिप्राय भावात्मक दृष्टि से मानव गुणों को अभिव्यक्त करता है। हिन्दी में मूल्य शब्द से पर्याय आदर्श शीलगुण आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है।

प्रत्येक समाज या विद्यालय में कुछ आदर्श हैं जिन पर सामाजिक एवं शैक्षिक प्रगति तथा परिवर्तन की दिशा निर्भर करती है। समाज या समूह में जो घटना होती है समाज उसका उचित अथवा अनुचित रूप में मूल्यांकन करता है इसी आधार पर समाज में घटित घटना को सही या गलत उचित या अनुचित ठहराया जाता है ओर ये ही मूल्य कहलाते हैं।

मूल्य हमारे आचरण का निर्धारण करते हैं जीवन के स्तरों का निर्माण करते हैं। मूल्य शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य व प्रसन्नता, साहस, निर्भीकता विवेक ज्ञान, परोपकारिता आदि के सांमजस्य में सहायक होते हैं क्योंकि इन्हीं के मिलने से व्यक्तित्व का विकास होता है। मूल्यों के द्वारा उत्तम साहचर्य व अच्छे पड़ोसीपन की भावना जागृत होती है। परस्पर प्रेम सहानुभूति, भाईचारा आदि की भावना पनपती है। इस प्रकार यह सही है कि मूल्य हमारे जीवन के लिये अनिवार्य है।

1. मूल्य किसी भी सभ्यता, संस्कृति समाज, राष्ट्र एवं शिक्षा का मेरुदण्ड हैं।
2. मूल्य व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ एवं सर्वभौमिक हो सकता है।
3. मूल्य मनुष्य, समाज व राष्ट्र के लिये कल्याणकारी होते हैं।

• मूल्य परक शिक्षा -

मूल्य एवं शिक्षा में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। मूल्यों का सम्बन्ध उन चीजों से होता है, जिसकी हम कामना करते हैं या इच्छा करते हैं और उचित मानते हैं। ये मूल्य भौतिक अमूर्त गुण या आदर्श से सम्बन्धित हो सकते हैं। जैसे- कुर्सी, मेज, भवन, पानी पीने की इच्छा या सत्य, दया सहयोग शान्ति आदि। जबकि शिक्षा एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बच्चों में ऐसे विशेष गुणों, दृष्टिकोणों, मूल्यों तथा व्यवहार का विकास होता है जो सार्वभौमिक दृष्टि से हितकारी हो। अतएव मूल्य एवं शिक्षा में साध्य एवं साधन का, सिद्धान्त एवं व्यवहार का, सम्बन्ध होता है। मूल्य आत्मा के समान होता है तो शिक्षा शरीर के समान है। मूल्यों का विकास करना शिक्षा अपना कर्तव्य, कार्य एवं उद्देश्य मानती है। उद्देश्य के आधार पर शिक्षा अपना सम्पूर्ण स्वरूप निश्चित करती है। मूल्यों के प्रचार-प्रसार हेतु आधार प्रदान करती है। मूल्यों को व्यवहारिक रूप शिक्षा ही देती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिक्षा के माध्यम से ही मानव समाज अपने मूल्यों को सुरक्षित रखता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। वर्तमान समय में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों के अंतर्गत मानव संसाधनों का विकास, मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक स्वभाव, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्रीय समाज एवं हमारे जीवन के लिए उत्कृष्ट गुणकारी मूल्यों को रखा गया है। इन्हीं को ध्यान में रखकर शिक्षा का पाठ्यक्रम शिक्षण विधि की योजना इस दृष्टिकोण से बनाई जा रही है कि इससे सांस्कृतिक परम्परा विकसित होगी, बच्चों में मूल्यवादी दृष्टिकोण होगा, जिससे राष्ट्र में उपजने वाली विध्वंसक गतिविधियों का अंत होगा। अस्तु जब मूल्यों को आधार बनाकर शिक्षा की

प्रक्रिया को संगठित एवं सुव्यवस्थित किया जाता है तो उसे “मूल्य शिक्षा” के नाम से अभिहित किया जाता है। कुछ लोग इसे मूल्यपरक शिक्षा से भी संज्ञापित करते हैं।

मूल्यों के प्रकार - विविध मूल्यविदों ने मूल्यों का वर्गीकरण अनेकों आधार पर किया है। जिसमें से कुछ प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार है।

1. इनसाइक्लोपीडिया एण्ड इथिक्स में मूल्यों के छः प्रकार बताये गये हैं।

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (i) सुखात्मक मूल्य | (ii) सौंदर्यपरक मूल्य |
| (iii) उपयोगिता मूलक मूल्य | (iv) नैतिक मूल्य |
| (v) धार्मिक मूल्य | (vi) तर्क मूलक मूल्य |

2. पैट्रिक ने मूल्य के तीन प्रकार बताये हैं -

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| (i) धार्मिक मूल्य | (ii) नैतिक मूल्य |
| (iii) सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य | |

(3). स्प्रेजर ने मूल्य के छः प्रकार बताये हैं। -

- | | |
|----------------------|---------------------|
| (i) सैद्धांतिक मूल्य | (ii) आर्थिक मूल्य |
| (iii) सामाजिक मूल्य | (iv) राजनीतिक मूल्य |
| (v) सौंदर्यपरक मूल्य | (vi) धार्मिक मूल्य |

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा जीवन मूल्यों का वर्गीकरण -

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. शैक्षिक मूल्य या शैक्षणिक मूल्य | 2. नैतिक मूल्य |
| 3. सामाजिक मूल्य | 4. राजनैतिक मूल्य |
| 5. वैश्विक मूल्य | 6. पर्यावरण संबंधी मूल्य |
| 7. सांस्कृतिक मूल्य | |

1.10 शिक्षण अध्यापन के दौरान बालकों में मूल्यों का विकास-

जब कक्षा में शिक्षक अध्यापन कार्य करते हैं, तो स्वयं ही सही समय पर कक्षा में पहुँचते हैं व छात्रों को भी कक्षा में सही समय पर आने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों को ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है।

तो मुख्य रूप से मूल्यों का विकास शुरू हो जाता है। छात्रों के मनोमस्तिष्क में एकाएक मूल्य शिक्षा का वीजारोपण नहीं किया जा सकता है इसके लिये समयबद्ध एवं व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण की रूप रेखा बनाना परम आवश्यक है शिक्षण का मुख्यलक्ष्य अधिष्ठाकर्ता के व्यवहारों में परिवर्तन लाना है और विविध तथ्यों का ज्ञानात्मक, भावत्मक, क्रियात्मक ज्ञान कराना है। शिक्षण में मूल्यों के विकास करने में सहपाठ्यचारी य पाठकम सहभागी क्रियाएँ विशेष सहायता करती है। इससे छात्र आसानी से किसी तथ्य के बारे में ज्ञान, क्रिया से वारीकियों को समझ लते हैं। पाठ्य सहचारी क्रियाओं में किसी तथ्य को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुतिकरण करके छात्रों के मनोमस्तिष्क में विषय के प्रति कौतूहल का संचार किया जा सकता है। इससे छात्रों में अवबोध का विस्तार होता है। छात्रों को किसी तथ्य को जानने, समझने विचार करने तथा करके सीखने में पाठ्यसहभागी क्रियाएँ का महत्वपूर्ण स्थान है।

मूल्यों के विकास करने में अनेक पहलुओं का समावेश होता है। इसके अंतर्गत मूल्यों के प्रति संवेदना जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों के संदर्भ में सही मूल्य का चुनाव करना उन्हें आत्मसत करना उन्हें जीवन में उतारना व उन्हें व्यवहार में लाना आदि बातें आती हैं विद्यालयी परिवेश में मूल्यों के विकास हेतु जहाँ पुस्तकीय ज्ञान प्रदान किया जा सकता है वहीं इसको व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वरूप देने और विद्यार्थियों में मूल्य सम्बंधी निपुणता का विकास करने हेतु विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं खेलकूद आदि का आयोजन करना भी आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों में अन्तर्निहित विविध प्रकार की अभिवृत्तियों अभिरुचियों को विकसित एवं मुखरित करने में विशेष मदद मिलती है। इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत खेलकूद, योगासन, स्काउट गाइड, रेडक्रॉस तथा पाठ्यसहचारी क्रियाकलापों की व्यवस्था एवं आयोजन पर बल दिया गया है।

1.11 मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक -

मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं-

(1) परिवार :- बालको के मूल्यपरक विकास के लिये परिवार जैसा उपयुक्त एवं अपयोगी वातावरण मिलना अत्यंत दुर्लभ है। सत्य बोलना, प्रेम, सेवा समर्पण, त्याग, दया, ईमानदारी जैसे नैतिक सदगुण बच्चा परिवार में ही सीखता है। वाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक एवं उसके बाद रहता है। इसलिये परिवार को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा गया है। विद्यालय की शिक्षा पर्याप्त नहीं होती। परिवार पुस्तकीय ज्ञान से भावनात्मक व संस्कार का ज्ञान नहीं हो तो परिवार में ही उपयुक्त वातावरण द्वारा उनमें अच्छी आदतों का विकास होता है। उनके नैतिक विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है, क्योंकि परिवार के अनुपयुक्त वातावरण में बालक निषेधात्मक मूल्य आत्मीकृत कर सकते हैं। कभी-2 अच्छे संस्कारी घरों के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नैतिक आचरण की व्यवहारिकता से बच्चों के आचरण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

(2) विद्यालय:- शाला शिक्षा देने एवं प्राप्त करने का प्रमुख केन्द्र है। जैसे हमारे विद्यालय हैं, वैसा ही हमारा जीवन होगा। हम सामंतो राजकुमारों तथा सरदारों के विना रह सकते हैं, किन्तु विद्यालयों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मूल्यपरक शिक्षा के विकास के लिये विद्यालय का वातावरण प्रजातांत्रिक एवं उत्साहवर्धक होना चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यालय का विकास, स्वच्छता, अनुशासन, व्यवस्था आदि उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपने चाहिए। एवं इन कार्यों को करते समय उनकी गतिविधियों का मूल्यांकन करना चाहिये। सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु साहित्यिक सांस्कृतिक समारोह अवश्य ही आयोजित किये जायें। जिससे उनमें निष्ठा, सहनशीलता, दयालुता, क्षमाशीलता, उदारता, सुख दुःख में साथ देना आदि भावनाएँ विकसित होती हैं। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा समूह भावना जाग्रत होती है। और इससे एक दूसरे को जानने - समझने के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्हें मानवीय गुण दोष का माननीय व्यवहार तथा समझ का प्रत्यक्ष अनुभव होगा।


विद्यालय का प्रांगण, वातावरण आदि साफ सुथरा तथा पुष्प लताओं से युक्त होना चाहिए। विद्यालय के महत्वपूर्ण स्थानों पर विभिन्न सूक्तियों तथा प्रेरणाप्रद उद्धरणों का मनोरम प्रदर्शन होना चाहिए। इन सबका विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः विद्यालय की साज सज्जा का कार्य भी अंततः विद्यार्थियों को सौंपा जा सकता है।

मूल्य के विकास की प्रक्रिया -

मनुष्य के अपने पूर्वजन्म तथा वंशकुल माता-पिता आदि से ग्रहण किये हुये विशेष संस्कार उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े होते हैं और उन्हीं संचित संस्कारों के अनुरूप मनुष्य अपने चारों ओर व्याप्त संसार तथा जीवन की परिस्थितियों से अपने जीवन मूल्यों के विश्व को खोजकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण ज्ञात अज्ञात रूप से करता है, और वही उसका संस्कार होता है। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों का मैं उनके संस्कारों रुचियों तथा स्वभावों को द्योतक होने के कारण सबसे भिन्न-2 होता है। उदाहरण के लिये एक साहित्यकार जिस अर्न्तमन के संसार में रहता है, एक राजनीतिज्ञ उसमें नहीं रहता उसका संसार मुख्यतः परिवर्तित होती हुई वर्तमान वाह्य वास्तविकता का संसार होता है। इसी प्रकार एक समाज सेवी या व्यापारी का भी एक अपना पृथक संसार होता है। यही बात अध्यापक, विद्यार्थी, वकील, चिकित्सक अभियन्ता आदि के विषय में कही जा सकती है। अपने-2 संस्कारों एवं परिवेश से इनका अपना संसार बनता है। परिवेश एवं संस्कारों के वैभिन्न्य से इनके जीवन-मूल्य भी पृथक-2 हो सकते हैं।

1.12 शैक्षिक मूल्य का महत्व एवं आवश्यकताएँ -

शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन-अध्यापन अनुशासन नियम पालन आदि मूल्य शैक्षिक मूल्य कहलाते हैं। मूल्य एवं शिक्षा के आपसी संबंधों को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल्यों का शिक्षा में अनुस्थापन ही शैक्षिक मूल्य कहलाता है। वस्तुतः बहुत से ऐसे विचारक हुये हैं जो उच्च कोटि के शिक्षाशास्त्री न होकर समाजशास्त्री, आध्यात्मिक, धार्मिक,



नैतिक वेत्ता अर्थशास्त्री, पर्यावरण विद् जनसंख्या विद् थे। उनके बहुत से विचार सर्वकालिक, जनहितकारी और कल्याण का दिग्दर्शन कराने वाले हैं। इनकों आत्मसात् करने पर शिक्षा में उपस्थित विविध समस्याओं के समाधान में बहुत सहायता मिल सकती है। वैसे भी शिक्षाशास्त्री को विविध विषयों से सम्बद्ध अनुशासन (शास्त्र) माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब विविध धर्मग्रंथों, विचारकों की कृतियों में सन्निहित सर्वकल्याणकारी उपादेय तत्वों को निकालकर शिक्षा के विविध उपांगों में उसका प्रयोग कर शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो वह शैक्षिक मूल्य कहलाने लगते हैं। शैक्षिक मूल्य शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों की इच्छा, संतुष्टि कामना उपयोगिता से सम्बंधित होते हैं। यह शिक्षक-शिक्षार्थी की इच्छा संतुष्टि कर उनको आत्मानुभूति प्रदान कर शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ता है। शैक्षिक मूल्यों से शिक्षक तथा विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति निष्ठा, कर्तव्य परायणता सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा का संचार होता है और शिक्षा मूल्यवादी तत्वों से सम्पृक्त होकर व्यक्ति के बहुआयामी विकास में सहायक बनती है। मूल्य शिक्षा भी इसी दृष्टिकोण का धोतक है। इसलिये मूल्य शिक्षा और शैक्षिक मूल्य एक ही तथ्य पर आधारित हैं। दोनों में विभाजन रेखा खींचना बहुत कठिन है।

भारत अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक नैतिक, चारित्रिक सम्पदा के कारण अत्यन्त प्राचीन काल से ही विश्व गुरु की मान्यता से जाना जाता रहा है। आज शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न योजनायें बनाई गईं किन्तु वर्तमान में वैज्ञानिक, फैशनपरस्त, भौतिकवादी अस्तित्वादी विचारों के प्रभाव में आकर यहाँ का जनमानस भारतीय आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं, आस्थाओं को विस्मृतकर पाश्चात्य जीवनशैली को आत्मसात करके उसे अपने जीवन का अभिन्न पहलू बना लिया है। इससे दया, सहयोग, प्रेम, सह अस्तित्व, परमार्थ समता पर आधारित भारतीय समाज, संस्कृति एवं शिक्षा भी पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण से आच्छादित हो गई है। देश के प्राचीन आदर्शों, मूल्य मान्यताओं का अधोतन होता जा रहा है। व्यक्ति शिक्षित होते हुये भी अशिक्षित जैसा आचरण, व्यवहार

कर रहा है। भारतीय शाश्वत्, सनातन मूल्य निरन्तर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। परिणामतः सर्वत्र अनेकों दुःखदायी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। स्वार्थपरता, दंगा, अराजकता, असहयोग से व्यक्ति और समाज में कटुता, अहवादिता, द्वेष, ईर्ष्या का प्रादुर्भाव हो रहा है। यह संस्थिति राष्ट्र, समाज परिवार के बहुमुखी विकास में अत्यंत घातक है। अतएवं आवश्यकता इस बात की महसूस की जा रही है कि मूल्य शिक्षा का ऐसा स्वरूप बनाया जाये कि शिक्षा के माध्यम व्यक्ति मूल्यवादी मान्यताओं से सम्पृक्त होकर, प्राचीन भारतीय, सनातन मूल्यों का आधुनिकता के साथ समन्वय करते हुये आगे बढ़े सकें। अतएवं व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुमुखी एवं समग्र विकास करने के लिये विविध मूल्यों को ज्ञान प्रदान करने हेतु मूल्य शिक्षा की अत्यंत ही आवश्यकता है।

शैक्षिक मूल्यों के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बातें इस प्रकार रखी जाती सकती हैं।

- (क) अध्यापन में नियमितता एवं निष्ठा
- (ख) मूल्यांकन में वस्तु-निष्ठता एवं निष्पक्षता
- (ग). शोध एवं प्रकाशन के सम्बन्ध में ईमानदारी
- (घ) प्रतियोगिता की भावना
- (ङ) उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर बनने की भावना
- (च) व्यवसाय के प्रति आस्था
- (छ). विद्यार्थियों की तथा स्वयं की सृजनात्मकता का पोषण।
- (ज). मौलिकता के प्रति सद्भाव ताकि पूर्वाग्रहों एवं दुराग्रहों के अनिष्टों को टल सकें।

1.13 मूल्यों की शिक्षा के विभिन्न आयोगों व समितियों के शिक्षा एवं शैक्षिक मूल्यों पर विचार -

- राधाकृष्णन आयोग (1948-49) - सैडलर कमेटी के अनुसार शिक्षा के विकास के लिये अनुदान राशि को बढ़ा दिया गया है जिसके कारण अनेकों

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई व पुराने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की दशा सुधारने तथा शिक्षा के स्तर को उँचा उठाने के लिये अनुदान दिये गये लेकिन शिक्षा के स्तर की गिरावट बराबर बनी रहे जो कि सरकार तथा जनता के लिये चिंता का विषय था दूसरा कारण यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति बदल गई थी। इस बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुये शिक्षा के लिये नवीन योजना की आवश्यकता थी।

● **आयोग की सिफारिशें** - अध्यापकों के विषय में

Q - 422

1. शिक्षक योग्य और चरित्रवान होना चाहिए।
2. शिक्षकों को अपने विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए।
3. शिक्षकों के द्वारा छात्रों में परिश्रम और शोध की जिज्ञासा पैदा की जानी चाहिए।

● **कोठारी कमीशन** - (1964-66) शिक्षा आयोग 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. डॉ. दौलतराम कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की इसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है।

आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार का कहना था कि शिक्षा के विकास में कार्य हुआ है। लेकिन समय की मांग के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास नहीं हुआ है। आज भी शिक्षा के विकास में विचार एवं कार्य में महान अंतर है। राष्ट्रीय एकता सामाजिक परिवर्तन, धर्म निरपेक्षता, निर्धनता की समाप्ति, औद्योगिक एवं कृषि का विकास आधुनिक विज्ञान की प्रकृति संगठन तथा संतुलित शिक्षा व्यवस्था से ही सम्भव है। यदि भारतीय प्रजातंत्र को वास्तविक बनाना है तो बहुसंख्यक लोगों को भारत तथा विश्व की जानकारी होना चाहिए। संविधान में प्रदत्त 14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा तथा निरक्षरता को दूर करना बढ़ती हुई बेरोजगारी आदि समस्याओं का अभी तक कोई

समाधान नहीं हुआ है। इसलिये शिक्षा प्रणाली के हर पहलू की जाँच की जाये जिससे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार शिला रखी जा सके।

● **शिक्षा आयोग के सुझाव इस प्रकार है :-**

1. शिक्षा का उत्पादन
2. सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता
3. अध्यापकों की शैक्षिक स्थिति
4. शैक्षिक अवसरों की समानता
5. अध्यापक शिक्षा

● **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986**

प्रारम्भ से लेकर आज तक शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। हर देश ने अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिये शिक्षा नीतियों में परिवर्तन और विकास किया है। हमें भी इस संदर्भ में पुनः विचार करना होगा।

● **शिक्षा की भूमिका तथा मूलतत्त्व -**

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा सभी के लिये जरूरी है। शिक्षा संकीर्णता को कम करती है और मानसिक स्वतंत्रता एवं भावनात्मक विकास, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता तथा जनतंत्र के विकास की प्रेरणा देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह मूल आधार है।

शिक्षक -

1. शिक्षकों का चयन उनकी योग्यतानुसार किया जाना चाहिये और उनकी पदोन्नति वेतन भत्ते स्थानांतरण आदि के लिये मार्गदर्शिका तैयार की जायेगी।
2. प्राथमिक स्कूल शिक्षक तथा अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा में लगे व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी डाइट तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जैसी संस्थाएँ शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करेगी।
1. शिक्षा के प्रबंध एवं नियोजन की व्यवस्था में अमूल परिवर्तन करना होगा।

2. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के शैक्षिक विकास के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
3. जिला एवं स्थानीय स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिये संस्थायें स्थापित की जायेंगी। योजनाओं का क्रियान्वयन के तहत अनुक्रमांक 5-31 में अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में कहा गया है कि वर्तमान प्रणाली में शिक्षण प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है। इसके लिये निम्नांकित गतिविधियाँ संचालित की जायेगी।
4. सभी नये प्रवक्ता स्तर के प्रवेशार्थियों के लिये शिक्षण विधियों, शिक्षण कला, एवं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभिनन्दन कार्यक्रम।
5. शिक्षकों के लिये रिक्रेशर कोर्स प्रत्येक शिक्षक के लिये 5 वर्ष में एक बार अनिवार्य।
6. विश्वविद्यालय और कॉलेजों के संसाधनों को जुटाकर अभिनन्दन कार्यक्रम।
7. शिक्षकों को सेमीनार में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन।
8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों में प्रोत्साहन हेतु विशेष कार्यक्रम।
9. वर्तमान संसाधन समिति की सिफारिशों की क्रियान्वयन हेतु जाँच।
10. समान योग्यता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति।
11. अध्यापक निष्पत्ति मूल्यांकन की विधि का विकास।
12. विश्वविद्यालय को प्रबंध प्रणाली का अध्यापकों की अधिक भागीदारी की दृष्टि से पुर्नगठन।

(डॉ. वरिष्ठ एवं डॉ. शर्मा “भारतीय शिक्षा की नई दिशा मेरठ, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस 1990 पृ.स. - 44)

● मैकानियर समिति (1994)

रिपोर्ट के अनुसार “अध्यापन की पूरी योग्यता के दो भाग हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रमुखता उसके व्यवसायिक कर्तव्यों में प्रविष्ट होने की है तथा आगे

का प्रशिक्षण कार्य कर रहे एक अध्यापक के तौर पर बिताये कुछ समय के बाद होता है।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968).-**

सामाजिक दृढ़ता एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिये समान स्कूल पद्धति को अपनाया जायेगा। प्रतिभाओं की खोज के लिये हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की नीति सम्बन्धी रिपोर्ट (1992) पाठ्यचर्या द्वारा मूल्यों की शिक्षा व पद्धति की जानकारी दी जानी चाहिये। फलतः यह विद्यालयों व अन्य शैक्षिक संस्थाओं और विशेषकर अध्यापकों का उत्तरदायित्व है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इस भांति संचालित करे कि बच्चे सही अर्थों में मूल्य शिक्षा ग्रहण कर सकें। अध्यापक के नाते विद्यार्थियों को शैक्षिक मूल्यों की शिक्षा देना उनका एक ऐसा अपरिहार्य कार्य है। जिसके उत्तरदायित्व से ही वे किसी भी भांति पलायन नहीं कर सकते अध्यापकों द्वारा मूल्य शिक्षा से पलायन का अर्थ है कि विद्यालय ही बंद कर दिये जाये।

- **एस.व्ही. चौहान समिति (1999) -**

समिति ने मूल्य शिक्षा पर आधारित शैक्षिक मूल्यों को रेखांकित करते हुये शिक्षक शिक्षा में शैक्षिक मूल्य को समावेश करने के लिये अत्यंत प्रासंगिक विचार प्रकट करते हुये सुझाव दिया है कि मूल्य शिक्षा को शिक्षण अधिगम प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम का अंग होना चाहिए। भविष्य में शिक्षकों के शैक्षिक मूल्य के प्रत्यक्ष से परिचित कराया जाना चाहिये। ये सभी विधियाँ प्रविधियाँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास के विभिन्न चरणों में मूल्यों का ज्ञान देने में लाभप्रद हो तथा इसको शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनिवार्य घटक बनाया जाये।

1.14 शैक्षिक मूल्यों के प्रति शिक्षक की भूमिका - हम एक

प्रकार से यह कह सकते हैं कि शिक्षक समाज एवं छात्रों के चारित्रिक विकास की धुरी होता है। जिसके परिता सर्वत्र संस्कार विद्यमान होते हैं तथा जिससे

छात्रों के बीच संस्कारित करने की आवश्यकता होती है। साथ ही शिक्षक को एक आदर्श तथा प्रतिदर्श माना जाता है। शिक्षक अपने ज्ञान एवं अनुभव से छात्रों में मूल्य संस्कारित कर सकते हैं। तथा छात्रों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक का सर्वोत्तम गुण यह है कि उसे विषय वस्तु या उस क्षेत्र में उसके पास वरेण्य गुण विद्यमान हो महात्मा गाँधी के अनुसार (शिक्षक राष्ट्र निर्माता है) अपितु छात्रों में मूल्यों की शिक्षा संस्कारित करना एक भागीरथ प्रयास कहा जा सकता है। तथा इसका कार्यान्वयन होना अनिवार्य सा प्रतीत होता है। सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की श्रृंखला में अध्यापक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। शासकीय स्तर पर मूल्य शिक्षा की चाहे कितनी ही मनोहर योजनाएँ बना ली जाएँ किन्तु अध्यापक यदि उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित न करें तो वह योजना कदापि सफल नहीं हो सकती। अतः सबसे पहले अध्यापकों में विविध नैतिक, सामाजिक एवं शैक्षिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का अभ्यन्तरीकरण अत्यन्त आवश्यक है। दीप से दीप जलता है। वैसे ही नैतिकता-नैतिकता को जन्म देती है। अध्यापक छात्रों के सामने नैतिक आदर्श प्रस्तुत करें जिन्हें देखकर या अनुभव करके विद्यार्थी भी मूल्यों का आचरण कर सकें।

1.15 अध्ययन की आवश्यकता -

उच्च प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न योजनाएँ बनाई गईं व उनका क्रियान्वयन भी किया गया इसके साथ शिक्षा का प्रसार होता गया लेकिन आज की स्थिति में सभी और सभी वर्गों में मूल्य हीनता और अनैतिकता देखने को मिलती है। आज नैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, पारिवारिक मूल्यों में कमी देखने और लगातार गिरावट होते नजर आती है। यह गिरावट शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। इसके कारण ही उदासीनता, उत्तरदायित्व, अनुशासनहीनता, आदि का जन्म हुआ है। अंततः मूल्यों की रूजवण पुनः प्रतिष्ठा के अभाव के कारण शिक्षा के गुणात्मक सुधार की आशा हेतु स्थिर होगी। शिक्षक समाज एवं राष्ट्र के कर्मधार है। शिक्षक के तार्किक शक्ति का

विकास होता है। उनमें इतनी बौद्धिक, शारीरिक क्षमता एवं समझ उत्पन्न होती है कि वे भविष्य में देश के नीव के मजबूत पत्थर साबित होते हैं। दूसरी ओर आज के विद्यालय में समस्या यह है, कि वे केवल पुस्तकीय ज्ञान, विद्यार्थियों पर थोप देते हैं। छात्रों को अपने रूचि के विपरीत कार्य करने पड़ते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि उनमें उत्साह की कमी हो जाती है और वे अच्छे मूल्यों को अपने व्यक्तित्व में शामिल नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार पुस्तकीय ज्ञान से विद्यार्थी का व्यक्तित्व स्वास्थ्य व्यक्तित्व नहीं बन सकता। अध्यापकों का चाहिए कि वे पुस्तकीय ज्ञान देने के अतिरिक्त अपने जीवन को व्यवहार में इस तरह ढालें जिससे अन्य छात्रगण उनका अनुसरण कर सकें और उनमें भी अनुशासन देश-प्रेम, कर्तव्यपरायणता जैसे शैक्षिक मूल्यों का विकास संभव हो सके।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार - “अध्यापकों का स्वयं चरित्र इतना उज्ज्वल हो कि उनके कहने और करने में कोई अंतर न हो जब हम इन आदर्शों को व्यवहार में परिणित करेंगे, तब ही हम अपने राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के विषय में आशावान रह सकते हैं।

अध्यापकों का विशेषकर उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के शैक्षिक मूल्यों के प्रति जो दृष्टिकोण है। वह वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कहाँ तक सकारात्मक है तथा कहाँ तक कम सकारात्मक है। इसी समस्या के प्रति शोधकर्ता ने अपना यह अनुसंधान कार्य चुना है। जो वर्तमान परिपेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है।


प्रस्तुत शोध शिक्षकों के शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन करने के लिए है।

1.16 समस्या कथन -

विभिन्न पृष्ठभूमि के उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के शैक्षिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन।

1.17 शोध कार्य में प्रयुक्त चर

- ❖ शैक्षिक मूल्य
- ❖ शैक्षिक योग्यता
- ❖ शैक्षिक अनुभव



1.18 समस्या का सीमांकन -

- प्रस्तुत शोध भोपाल शहर के नरेला विधानसभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक स्तर के शासकीय विद्यालयों तक सीमित किया गया है।
- प्रस्तुत अध्ययन उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों तक सीमित है।
- प्रस्तुत अध्ययन केवल नियमित शिक्षकों तक सीमित है।
- प्रस्तुत अध्ययन में केवल वे शिक्षक चयनित होंगे जिनको 5 वर्ष या उससे अधिक का शैक्षिक कार्य करने का अनुभव है।

1.19 शोध कार्य के उद्देश्य -

- उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के शैक्षिक मूल्यों का अनुमापन करना।
- उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पृष्ठभूमि ज्ञात करना।
- विभिन्न पृष्ठभूमि वाले शिक्षकों के शैक्षिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

1.20 शोध कार्य की परिकल्पनाएं :-

- Ho 1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षकों के शैक्षिक मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 2. शैक्षिक प्रशिक्षण सहित एवं शैक्षिक प्रशिक्षण रहित शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों के शैक्षिक मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 3. 5 वर्ष व 5 वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव वाले शिक्षकों के शैक्षिक मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

उप-परिकल्पनाएँ :-

- Ho 1.1 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में शिक्षकों की शैक्षिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.2 शैक्षिक प्रशिक्षण सहित एवं शैक्षिक प्रशिक्षण रहित योग्यता वाले शिक्षकों की शैक्षिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.3 पाँच वर्ष व पाँच वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव वाले शिक्षकों के शैक्षिक प्रतिबद्धता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.4 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में शिक्षित शिक्षकों की शिक्षण क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.5 शैक्षिक प्रशिक्षण सहित एवं शैक्षिक प्रशिक्षण रहित शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों की शिक्षण क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.6 पाँच वर्ष व पाँच वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव वाले शिक्षकों की शिक्षण क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.7 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में शिक्षित शिक्षकों के व्यवहारिक क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.8 शैक्षिक प्रशिक्षण सहित एवं शैक्षिक प्रशिक्षण रहित शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों की व्यवहारिक क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.9 पाँच वर्ष व पाँच वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव वाले शिक्षकों की व्यवहारिक क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.10 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में शिक्षित शिक्षकों के शिक्षण कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

- Ho 1.11 शैक्षिक प्रशिक्षण सहित एवं शैक्षिक प्रशिक्षण रहित योग्यता वाले शिक्षकों के शिक्षण कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.12 पाँच वर्ष व पाँच वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव वाले शिक्षकों की शिक्षण कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.13 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में शिक्षित शिक्षकों की समस्या समाधान योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.14 शैक्षिक प्रशिक्षण सहित एवं शैक्षिक प्रशिक्षण रहित शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों की समस्या समाधान योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
- Ho 1.15 पाँच वर्ष व पाँच वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव वाले शिक्षकों की समस्या समाधान योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।